



संख्या— / जी०एस० / शिक्षा / A3-8-1/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून दिनांक 26 सितम्बर, 2019

कृपया अपने पत्र संख्या मान्यता/के०यू०/सम्बद्धता/०८ दिनांक ०४.०४.२०१८ एवं पत्र संख्या मान्यता/सम्बद्धता/२०१८/४८८ दिनांक ०१.०१.२०१९ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर को बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में सत्र २०१७-१८ से सत्र २०१९-२० तक की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

२- सत्र २०१८-१९ व उससे पूर्व तक की अस्थाई सम्बद्धता पर मा० कुलाधिपति जी के अनुमोदनोपरान्त इस सचिवालय के पत्र संख्या २९६ दिनांक २६ अप्रैल, २०१९ द्वारा सैद्धान्तिक सहमति छात्रहित में एक बार समाधान के आधार पर इस उपबन्ध के साथ प्रदान की जा चुकी है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के आधार पर, परिलक्षित त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कराते हुये विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

३- शैक्षिक सत्र २०१९-२० के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-३७ (२) के अन्तर्गत मा० कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त संस्थान को बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में ६० सीटों के साथ सत्र २०१९-२० हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान कर दी गई है कि :-

(१) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद सत्र २०१७-१८ व सत्र २०१८-१९ की सम्बद्धता विषयक निर्णय उपरोक्त निर्देशानुसार लेकर सम्बद्धता विषयक आदेश यथाशीघ्र जारी करेगी तथा पूर्व सत्रों की सम्बद्धता विषयक आदेश जारी होने पर उसकी प्रति इस सचिवालय को भी उपलब्ध कराई जाय।

(२) पूर्व सत्रों की सम्बद्धता विषयक आदेश जारी किये जाने से पूर्व विद्यालय में नवीन प्रवेश न दिये जाय।

(३) सत्र २०१९-२० की निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू०जी०सी० के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति जी के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

४- तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 237 (1) / जी०एस० / शिक्षा / A3-8-1 / 2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

१. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
२. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
३. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
४. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)

कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।